# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 60 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 95

**प्रार्थीनी** बनाम **विप्रार्थीगण**

श्रीमति हवली देवी पत्नी सोनारामजी
जाति राईका निवासी जेरला
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1.बगदाराम पुत्र छोगाराम
2.गणपतलाल पुत्र पेमाराम
3.जैसाराम पुत्र खुबाराम
4.श्रीमति टीपूदेवी पत्नी पेमाराम
5.ढलाराम पुत्र गुणेशजी
6.श्रीमति रंगुदेवी पत्नी खुबाराम
7.राजेन्द्र कुमार पुत्र सकाराम
8.लच्छीराम पुत्र खुबाराम
9.चौपाराम पुत्र सकाराम
10.हनुमानराम पुत्र पेमाराम
11.हीरालाल पुत्र सकाराम
12.भंवरलाल पुत्र खीमाराम
13.मोहनलाल पुत्र खीमाराम
14.उतमाराम पुत्र खीमाराम
15.लूणाराम पुत्र खीमाराम
जाति प्रजापत निवासी बालोतरा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
16.श्रीमति अणसी देवी पत्नी गोमाराम
जाति मेगवाल निवासी जेरला
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
17.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थिति–

1.श्री वीराराम प्रजापत अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री छत्रकरण भाटी विप्रार्थी संख्या 01 अधिवक्ता

3,विप्रार्थी संख्या 2 से 17 एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

# आदेश

दिनांक 22.11.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम जेरला पटवार हल्का रामसिन तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 488 क्षैत्रफल 1.5540 हैक्टेयर हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीनी द्वारा ग्राम जेरला पटवार हल्का रामसिन तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 488 क्षेत्रफल 1.5540 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री छत्रकरण भाटी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश कर प्रार्थीनी के आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 से 17 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी संख्या 01 अधिवक्तो की बहस सुनी। प्रार्थीनी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम जेरला पटवार हल्का रामसिन तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 488 क्षेत्रफल 1.5540 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीनी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रहता है। प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम जेरला पटवार हल्का रामसिन तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 488 क्षेत्रफल 1.5540 हैक्टेयर क्षेत्रफल 4.7803 हैक्टयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

**4.**इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 01 की बहस है कि प्रार्थीनी की ओर से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि मे विप्रार्थी द्वारा दखलदान्जी नही की गई है। जबकि विप्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि मे शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। जबकि प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे दखलदान्जी करने की कोशिश की जाती रहती है। प्राथीर्नी द्वारा आवश्क सेढा पड़ौसीयो को पक्षकार भी नही बनाया गया है, इस कारण कुसंयोजन पक्षकार अभाव के कारण प्रार्थीनी का आवेदन चल नहीं सकता है। अतं मे निवेदन किया कि प्रार्थीर्नी का आवेदन सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

**5.**हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम जेरला पटवार हल्का रामसिन तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 488 क्षेत्रफल 1.5540 हैक्टेयर क्षेत्रफल 4.7803 हैक्टयर भूमि प्रार्थीनी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीनी विवादित भूमि की रिकार्डडं खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीनी हकदार प्रतीत होती है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 09.2.2023 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीनी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

**6.**उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीनी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें की हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

**–:आदेशः–**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीनी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जेरला पटवार हल्का रामसिन तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 488 क्षेत्रफल 1.5540 हैक्टेयर क्षेत्रफल 4.7803 हैक्टयर भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

(अशोक कुमार) 22/11/24
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 22.11.2024 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

22/11/24
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा